सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 21.07.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में दो अभियुक्त दोषसिद्ध, मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं सह-अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना : रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

एसटी संख्या : 71/2019

मु0अ0सं0 : 454/2019

धारा : 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट

दोषसिद्ध अभियुक्तगण-

1. **दिनेश कुमार** पुत्र कैलाश
   निवासी- विधुरिया, थाना करमा, जनपद सोनभद्र।
2. **सूर्य नारायण** पुत्र भोला
   निवासी- तिलया, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

माननीय न्यायालय **एएसजे/स्पेशल जज (पॉक्सो), सोनभद्र** द्वारा अभियुक्त **दिनेश कुमार** को धारा 363 भा.द.वि. में **05 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड**, धारा 366 भा.द.वि. में **07 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड** तथा धारा 376 भा.द.वि. में **10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹30,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **06 माह का अतिरिक्त कारावास** भुगतना होगा। न्यायालय द्वारा सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश पारित किया गया है।

इसी प्रकार सह-अभियुक्त **सूर्य नारायण** को धारा 363 भा.द.वि. में **05 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में **03 माह का अतिरिक्त कारावास** भुगतना होगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त अभियोग में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय से सजा सुनिश्चित कराई गई।

सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।